न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र नम्बर :– 22/2024

जीसीएमएस नम्बर :– 2024/205

अनवान

1. पारसी पुत्री अमरा गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बाली पुत्री अमरा गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजु पिता अमरा गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. हंजा पत्नि लच्छु गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बदामी पुत्री लच्छु गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. देवीलाल पिता राजु गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. ईश्वर पुत्र बाघा गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कमली पुत्र बाघा गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नेनुड़ी पत्नि बाघा गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नोसी पुत्री बाघा गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. जयराम पिता उर्जा गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. आसु पिता लच्छु गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. चम्पा पिता लच्छु गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सरजु पत्नि लच्छु गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. उगमचन्द पिता मांगु गुर्जर निवासी मेवासा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
10. कमलेश पिता उदयलाल लौहार निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद मन्सूरी – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. जाकिर हुसैन रंगरेज – अधिवेक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक:–06.10.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि –

1. राजस्व ग्राम मोखमपुरा पटवार मण्डल थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा के बैरुन हल्का आवादी में प्रार्थी सख्या 1,2,3 के पूर्वज रामा पिता गुरा जी गुर्जर के खातेदारी अधिकार एव कब्जे काश्त की सावीक आराजी संख्या 171/1 रकबा 9 बीघा भूमि एव प्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता व पति लघु पिता भूरा गुर्जर के खातेदारी अधिकार एव कब्जे काश्त की साबिक

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

आराजी संख्या 171/2 रकबा 8.5 बिघा भुमि स्थित थी प्रमाण में जमाबन्दी सवत 2051 से 2054 प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है।

2. प्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम दर्ज साविक आराजियात जो मूल साविक आराजी 171 के बटा नम्बर होकर आवाटिंत की गई थी वक्त आवांटन से जिस जगह आवांटीत को कब्जा सुपूर्द किया गया उसी जगह पर आज दिन तक आवांटीत एंव उनकी मृत्यु उपरान्तं प्रार्थीगण काबिज है प्रार्थीगण ने काफी आर्थिक एंव शारिरीक श्रम खर्च कर उक्त भूमियो को काबिल काश्त बनाकर मिट्टी भरवाकर चारो तरफ पत्थरो के कोट चुनाकर खर्च किये है। सेटलमेन्ट के दौरान ग्राम मोखमपुरा का भी सेटलमेन्ट हुआ जिससे प्रार्थीगण की साबिक आराजी संख्या 171/1 के नवीन नम्बर 1399 रकबा 1.84 हैक्टर, व आराजी संख्या 1400 रकबा 1. 94 हेक्टर कायम किये गये।

3. सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारीयो एंव अधिकारीयो को राजस्व नक्शे मे काट छांट करने नये सिरे से इन्द्राज करने का कोई विधिक अधिकार नही है फिर भी प्रार्थीगण कि साबिक आराजियात के नवीन नक्शे मे गलत रुप से इन्द्राज कर दिया एव नवीन नक्शे में मुख्य सडक जो भीलवाडा से रायपुर आने वाली निकली हुई है को दर्ज करते हुए प्रार्थीगण की नवीन आराजियात के दो टुकडे दर्शाते हुए आंशिक भाग उत्तर पूर्वी दिशा की और फिट कर दिया और उक्त आशिक भू भाग को विपक्षीगण के नाम दर्ज करते हुए नवीन नक्शे मे आराजी संख्या 1397/1886, 1396 व 1395 दर्शा दी जबकी वर्तमान में प्रार्थीगण मुख्य सड़क के दोनों ओर काबिज है प्रार्थीगण का नवीन नक्शा साबिक अनुरुप तरमीम नहीं होने से विपक्षीगण आये दिन उनकी कब्जे शुदा भूमियो में नाजायज दखलदांजी करते रहते है।

4. प्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर कुआ निर्मित करवाया है तथा साबिक नक्शे अनुरुप भूमि दो भागो मे दर्ज कर दी है जिसे दुरुस्ती हेतू कई बार कहा लेकिन उन्होंने नवीन नक्शे के अनुसार अपनी भुमियो की पत्थगढ़ी का आदेश करवा लिया एंव अब जबरन प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है जिससे प्रार्थीगण उनके विरुद्ध इन्द्राज दुरुस्ती की घोषणात्मक डिकी जारी करवाने के अधिकारी है तथा उनके विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की डिकी भी जारी करवाना आवश्यक हो गया है। विपक्षी संख्या एक ने विपक्षी संख्या नो के पक्ष में दिनांक 06.05.2024 को उक्त वर्णित आराजियात मे से आराजी संख्या 1397/1886 रकबा 0.33 हेक्टर में विपक्षी संख्या एक का वर्तमान जमाबन्दी मे हक हिस्से का विक्रय पत्र निष्पादीत कर दिया है। जिससे विपक्षी संख्या नो को विपक्षी पक्षकार बनाया गया है। विपक्षी पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने हेतू उतारु है तथा पुनः दिनांक 25.06.2024 को आराजी संख्या 1397/1886 रकवा 0.33 है0 विपक्षी संख्या 10 को विकय कर दी एवं मौके पर टेक्टर आदि से पत्थर व मिट्टी डलवाने हेतू उतारु हो रहा है प्रार्थीगण के द्वारा मना करने पर मरने मारने की धमकीया दे रहा है जिससे विपक्षीगणो के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाया जाना आवश्यक हो गया है।

5. प्रार्थी का प्रथमदृष्टया मामला प्रमाणित हैं। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निशेधाज्ञा जारी करवा उन्हे नही रोका गया तो प्रार्थीगण के

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ. रायपुर

कब्जेशुदा भूमि पर विपक्षीगण जबरन कब्जा कर लेंगे जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका आकलन नकदी में नही किया जा सकेगा।

6. अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि बहक प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला मूल वाद अस्थायी निशेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व इस आ ाय की सादिर फरमाई जावे कि विपक्षीगण के साबिक नम्बर अनूरूप नवीन नम्बर 1395, 1396, 1397/1886 कायम हुए है जो वर्तमान में विपक्षीगण के नाम दर्ज है व प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1399 रकबा 1.84 है0 व आराजी संख्या 1400 रकबा 1.94 है0 जिस पर प्रार्थीगण काबिज है उनके कब्जे में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे, प्रार्थीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे साथ ही उक्त नम्बरान की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

7. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.08.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन जारी किया गया। सम्मन की पालना में विपक्षी संख्या 1 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री जाकिर हुसैन रंगरेज द्वारा अधिकार पत्र मय जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

8. विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में अकंन किया कि प्रार्थीगण की उक्त्त साबिक आराजी के मूल नम्बर 171 थे जो साबिक नक्शे में बिलानाम रास्ते की साबिक आराजी सख्या 170 के दक्षिण में दर्ज थी तथा वर्तमान में भी वहीं दर्ज हैं तथा इसी मूल साबिक आराजी से प्रार्थीगण को आ.सं. 171/1 व 171/2 आवंटित हुई हैं। प्रार्थीगण को आसं 170 में से भूमी आवंटित की गई जो बिलानाम रास्ते की आ.सं. 170 के दक्षिण में स्थित हैं तथा वही पर प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा हैं। प्रार्थीगण की आराजी के नवीन नम्बर व रकबा नवीन नक्शे में साबिक रेकॉर्ड के अनुसार सही कायम किए गए तथा विपक्षी संख्या एक से आठ की साबिक आराजी संख्या 169/5 रकबा 5 बीघा व साबिक आ.सं 169/3 रकबा 4 बीघा भूमी है जो बिलानाम आसं 170 के उत्तरी दिशा में स्थित है जिस पर विपक्षीगण का कब्जा चला आ रहा है जिसके भुप्रबंध के दौरान नवीन नम्बर 1397/1886, 1396, 1395, 599 कायम किए गए। जो साबिक नक्शे व साबिक रेकॉर्ड के मुताबिक दर्ज किए गए हैं। प्रार्थीगण की आराजी व विपक्षीगण की आराजी के मध्य बिलानाम सरकारी रास्ता की भूमी आर 170 स्थित है जिसके भुप्रबंध के बाद नवीन नम्बर 1397 कायम किए गए हैं। प्रार्थीगण की आराजियात साबिक नक्शे में बिलानाम आराजी संख्या 170 जिसके नवीन नम्बर 1397 हैं के दक्षिण में स्थित थी तथा नवीन नक्शे में भी उसे उसी जगह दर्ज किया गया हैं तथा विपक्षीगण की आराजी बिलानाम आराजी संख्या 1397 के उत्तर दिशा में दर्ज थी उसे भी नवीन नक्शे में उसी जगह दर्ज किया गया हैं। भुप्रबंध के दौरान सड़क विपक्षीगण की साबिक आराजी संख्या 169/5 में निकली हुई थी जिससे सड़क को दर्ज करने से विपक्षीगण की आराजी सड़क की आ.सं. 600 के दोनो तरफ शेष बची। प्रार्थीगण की आराजी में से न तो सडक निकली व नही प्रार्थीगण की आराजी में सड़क दर्ज की गई एवं न ही प्रार्थीगण की आराजी सड़क के दोनो तरफ दर्ज की गई। प्रार्थीगण की आराजी सड़क

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जोधपुर

के दोनो तरफ नहीं हैं तथा न ही प्रार्थीगण का कोई कब्जा है। प्रार्थीगण की आ.सं. 1399 व 1400 बिलानाम रास्ते की आसं. 1397 के दक्षिण में स्थित हैं तथा उसी जगह प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। सत्यता यह है कि प्रार्थीगण की नियत में फितूर आ जाने से सड़क के दोनों ओर दर्ज विपक्षीगण की भूमी को जबरन हडपने के लिए यह झुंठा प्रार्थनापत्र पेश किया हैं जिसे सव्यय खारिज फरमाया जाए। विपक्षीगण को अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार हैं जिसे रोकने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण की आराजी पूर्व में कहां दर्ज थी व भुप्रबंध के दौरान कहां दर्ज की गई व इसको कहां दर्ज किया जाना चाहिए इसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। वादग्रस्त आराजी संख्या 1397/1886, 1395, 1396 विपक्षीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की खातेदारी भूमि है जिस पर प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नही है जिससे प्रार्थीगण, विपक्षीगण के विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे।

9. प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थीगण को भूमि आंवटित हुई है और वक्त आवंटन से प्रार्थीगण काबिज है। सेटेलमेन्ट के बाद साबिक नम्बर के बीच सड़क निकली और भूमि के 2 टुकड़े हुए है। उत्तरी और के आंशिक रकबे पर प्रतिवादी कब्जा करते है। नवीन नक्शा साबिक नक्शे के अनुरूप नही है। कुआं था और कुआं के सटमा सड़क है। इन्द्राज दुरस्ती का वाद है साबिक नक्शा अनुसार नवीन नक्शा दर्ज किया जाना है। जहां कब्जा है वो विपक्षीगण के नाम दर्ज है। मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रेकार्ड की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

10. विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नही है। प्रार्थीगण ने साबिक आराजी का कोई विवरण वाद में प्रस्तुत नही की गई। बिलानाम आराजी संख्या 170 के दक्षिण में प्रार्थीगण की आराजी संख्या 171 थी। साबिक आराजी संख्या 165/5 व 163/3 बिलानाम आराजी के उत्तरी दिशा में स्थित थी। भूमि का अंकन 2012 की जमाबन्दी में है वाद 2024 में पेश किया गया। सेटलमेन्ट के दौरान टुकड़े होने पर जो नम्बर बनने थे वह नही बने। खातेदार अप्रार्थी है भूमि बेच दी है। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु विपक्षीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

11. प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा विपक्षी अधिवक्ता की बहस पर प्रत्युतर बहस में निवेदन किया गया कि साबिक एवं हाल दोनो नक्शे पेश किये गये है। मुख्य सड़क राजस्व नक्शे में सही जगह दर्ज नही है। सड़क वर्ष 1399 में निकली होकर सड़क की तरमीम नही है।

12. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करते हुए उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में संलग्न दस्तावेज अस्पष्ट है तथा अपूर्ण है। प्रार्थी वर्तमान में किस आराजी पर काबिज है जिसका विवरण प्रार्थना पत्र में अंकन नही किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जयपुर

नही किया गया कि विपक्षीगण की आराजियात व प्रार्थी की आरायित किस प्रकार से सम्बधित है जिसका अंकन नही किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में सड़क के दोनो ओर प्रार्थीगण काबिज है लिखा गया परन्तु कितने क्षेत्रफल या रकबे का स्पष्ट अंकन नही किया गया है एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग को पक्षकार संयोजित नही किया गया है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नही होता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। मूलवाद के निर्णय तक विपक्षीगण पांवद किया जाता है तो विपक्षीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, प्रार्थना पत्र में संलग्न दस्तावेज के अस्पष्ट व अपूर्ण होने से एवं प्रार्थना पत्र में वादवर्णित आराजियात का विवरण का संही अंकन नही होने से अस्वीकार किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा